झारखण्ड सरकार

परिवहन विभाग

भूतल, एफ.एफ.पी. भवन, धुर्वा, राँची।

।। प्रेस विज्ञप्ति ।।

मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार के आदेश संख्या–338/CS/Res, दिनांक–25.05.2021 के द्वारा राज्य में लागू "स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह" की अवधि दिनांक–03.06.2021 के प्रातः 06:00 बजे तक विस्तारित की गई है। इसलिए मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार के आदेश संख्या–234/CS/Res, दिनांक–12.05.2021 के द्वारा निर्गत राज्य में निजी वाहनों से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए E-Pass व्यवस्था यथावत लागू रहेगी।

दिनांक–27.05.2021 के प्रातः 06:00 बजे से उक्त व्यवस्था में निम्न परिवर्तन होंगे तथा निम्न प्रकार के व्यक्तियों को निजी वाहनों से आवागमन में E-Pass की आवश्यकता नहीं होगी:–

1. भारत सरकार के कार्यालयों, उसके स्वायतशासी कार्यालयों, अनुषांगिक कार्यालयों तथा सी०पी०एस०यू० के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए उनके द्वारा निर्गत वैध फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत किये जाने पर।
2. सभी न्यायिक पदाधिकारियों, कर्मचारियों, अधिवक्ताओं, कानूनी सलाहकारों, राज्य के सभी न्यायालयों के कर्मचारियों (माननीय उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय/न्यायाधीकरण) के लिए न्यायालय प्राधिकार द्वारा निर्गत वैध सेवा पहचान पत्र या फोटोयुक्त प्रवेश पास जो न्यायालय प्राधिकार द्वारा निर्गत हो, के प्रस्तुत किये जाने पर।
3. झारखण्ड सरकार तथा इसके स्वायतशासी कार्यालयों एवं अनुषांगिक कार्यालयों के सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए उनके द्वारा वैध फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत किये जाने पर।
4. सभी निजी स्वास्थ्य कर्मी जैसे–सभी डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पारा मेडिकल इत्यादि तथा अन्य चिकित्सा सेवाओं (जैसे–Hospitals, diagnostic centres, testing laboratories, clinics, pharmacies, pharmaceutical companies, oxygen suppliers, medical instruments and consumables, sanitation, security, etc) के कर्मियों को उनके द्वारा निर्गत वैध फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत किये जाने पर।
5. गर्भवती महिलाओं, रोगियों तथा उनके परिजनों को स्वास्थ्य सुविधाएँ प्राप्त करने के लिए उनके द्वारा वैध फोटो पहचान पत्र, चिकित्सक का परामर्श पत्र या अन्य चिकित्सीय पत्र प्रस्तुत किये जाने पर।
6. कोविड 19 की जाँच या टीकाकरण हेतु जाने वाले लोगों को उनके द्वारा वैध फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत किये जाने पर।

26/05/21

Scanned with CamScanner

7. इलेक्ट्रोनिक तथा प्रिन्ट मिडिया के कर्मियों को उनके द्वारा वैध फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत किये जाने पर।

8. हवाई अड्डा तथा रेलवे स्टेशन आने–जाने वाले लोगों को उनके द्वारा वैध टिकट प्रस्तुत किये जाने पर।

9. छात्रों तथा व्यक्तियों को परीक्षा में उपस्थित होने के लिए उनके द्वारा वैध प्रवेश पत्र प्रस्तुत किये जाने पर तथा परीक्षा हेतु प्रतिनियुक्त कर्मियों को उनके द्वारा वैध फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत किये जाने पर।

10. सामानों के अन्तर्राज्यीय तथा राज्य के अंदर परिवहन एवं परिचालन के लिए।

11. औद्योगिक इकाईयों तथा खनन कम्पनियों के कर्मियों को उनके द्वारा वैध फोटो पहचान पत्र/डयूटी पास प्रस्तुत किये जाने पर।

12. विद्युत/जलापूर्ति/दूर–संचार/नगर पालिका सेवाएँ उपलब्ध करवाने वाले कर्मियों को उनके द्वारा वैध फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत किये जाने पर।

13. जिला प्रशासन द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्थान के लिए कोविड–19 के नियंत्रण हेतु निर्गत किये गये प्रमाण–पत्र धारक को।

14. अन्तिम यात्रा में शामिल होने वाले लोगों को।

15. किसानों को अपने कृषि उत्पाद बेचने हेतु जाने–आने के लिए।

उपरोक्त श्रेणियों के अतिरिक्त सभी लोगों के लिए निजी वाहनों से आवागमन के लिए ई–पास की व्यवस्था पूर्वत लागू रहेगी। इनका अनुपालन नहीं करने पर Disaster Management Act एवं MV Act के तहत कार्यवाही की जाएगी।

उक्त के आलोक में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

26/05/21

परिवहन आयुक्त,
झारखण्ड, राँची।

Scanned with CamScanner